


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के ज्ञापन क्रमांक-एफ-1(2) एफडी(रूल्स)06 पार्ट-1 जयपुर दिनांक- 11.06.2014 एवं एफ1(2) एफडी (रूल्स)06/पार्ट-1 दिनांक 07.08.14 की अनुपालना निम्नलिखित परिवीक्षाधीन व्याख्याताओं (प्रोवेशनर-ट्रेनी) का उनके चिकित्सा प्रमाण पत्र /निजी कारणों के आधार पर उनके नाम के सामने अंकित अवधि का असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक	पदस्थापन स्थान राउमावि/राबाउमावि	कुल अवकाश अवधि	स्वीकृत अवकाश के दिनों की संख्या
1	सुनील नावरिया व्या.इतिहास	ऐलाना-जालोर	25.03.19 से 14.04.19	21 दिवस
2	संगीता व्या. इतिहास	डूंगरास आथूणा-चुरू	25.11.17 27.11.17 से 30.11.17	05 दिवस
3	मंगलाराम व्या. इतिहास	राजमथाई-जैसलमेर	23.08.18 से 25.08.18	03 दिवस
4	अनिता चौधरी व्या. इतिहास	पीह-नागौर	22.04.19	01 दिवस
5	राजेश कुमार मीना व्या.इतिहास	मैठून-झालावाड़	26.06.19 से 29.06.19	04 दिवस
6	दीपिका सोनी व्या. वाणिज्य	विकासनगर-बून्दी	22.06.18 से 23.06.18 27.11.18 से 28.11.18	04 दिवस
7	सीमा शर्मा व्या. इतिहास	पूनरासर-बीकानेर	11.04.18 से 24.04.18 27.04.18 से 03.05.18 07.05.18 से 08.05.18 11.07.18 से 13.07.18 01.08.18 से 14.08.18 16.08.18 से 30.08.18 04.09.18 से 17.09.18 20.09.18 से 26.09.18	76 दिवस



(नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक,


माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/सी-2/इति-वाणि/स्थायी/अ.अवकाश/18/
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक 16.9.19

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा
- 2 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय(माध्यमिक)
- 3 संबंधित मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी
- 4 सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाज को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु
- 5 संबंधित शाला/संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक
- 6 रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर